

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना-15, दिनांक- 13/06/2025.

XX
अनौपचारिक
रूप से
रामर्शित।

द्वारा:-

विषय:-

XX

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल ₹ 259.98 लाख (कुल दो करोड़ उनसठ लाख अठानवे हजार) मात्र के अनुमानित लागत पर राज्य स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को गव्य विज्ञान में प्रशिक्षण की योजना की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त विभागीय राज्यादेश संख्या-3159, दिनांक-01.07.2024 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल ₹ 259.98 लाख (कुल दो करोड़ उनसठ लाख अठानवे हजार) मात्र के अनुमानित लागत पर राज्य स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को गव्य विज्ञान में प्रशिक्षण की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी एवं गव्य विज्ञान के प्रशिक्षण हेतु जिलावार निर्धारित भौतिक लक्ष्य तथा योजना विवरणी संलग्न है।

- 2) इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के लघु कृषक, प्रगतिशील डेयरी कृषक, बेरोजगार युवक/युवतियों, जो गव्य व्यवसाय से जुड़े हों अथवा जुड़ने की इच्छा रखते हो, उन्हें राज्य के अन्दर स्थित राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करना है।
- 3) वित्तीय वर्ष 2025-2026 में गव्य प्रक्षेत्र की निम्नांकित विधाओं/ कार्यक्रमों में प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है :-
 - (i) गव्य प्रबंधन एवं मूल्यवर्द्धन नस्ल पहचान एवं दुधारु मवेशी में दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उपाय, हरा चारा उत्पादन, नस्ल सुधार, प्राथमिक उपचार, दुधारु पशु प्रबंधन एवं पशु रोगों के रोकथाम, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन एवं दुग्ध से निर्मित उत्पाद, गव्य विकास एवं पशु प्रबंधन, डेयरी उद्यमिता एवं डेयरी प्रक्षेत्र में स्टार्टअप, इंटीग्रेटेड डेयरी फार्मिंग आदि।
- 4) प्रशिक्षण के लिए ऑनलाईन आवेदन करने वाले प्रशिक्षणार्थियों का चयन गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा समय-समय पर निर्धारित कार्यान्वयन अनुदेश के अनुरूप

संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा अपने जिला के भौतिक लक्ष्य के अनुसार किया जायेगा।

- 5) योजना का क्रियान्वयन निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना/संबंधित जिला एवं सम्बद्ध जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- 6) सरकारी संस्था यथा डी०एन०एस०, पटना तथा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना में सूचीबद्ध (Empanelled) प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु बजट उपबंधित/आवंटित राशि अन्तर्गत प्रशिक्षण शुल्क, पाठ्य सामग्री शुल्क, मानदेय, व्यवहारिक भ्रमण एवं ठहरने, खाने के लिए निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना अथवा इनके प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निकासी कर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रशिक्षण संस्थान तक जाने एवं वापस आने मद् में संबंधित/सम्बद्ध जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी को राशि आवंटित की जायेगी। निदेशक, गव्य इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
- 7) प्रस्तावित योजना अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थानों को भुगतान की जाने वाली प्रशिक्षण शुल्क का दर रुपये 1100/-प्रति प्रशिक्षणार्थी/प्रतिदिन तथा भाड़ा/परिवहन व्यय हेतु दूरी का आकलन कर अधिकतम रुपये 1500/- प्रति कृषक को भुगतान करने के निमित्त उच्चस्तरीय निर्णय प्राप्त करने हेतु अनुशंसा की गई है।
- 8) वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को गव्य विज्ञान में प्रशिक्षण की योजना के लिए उपलब्ध योजना उद्ब्यय एवं बजट उपबंध के अन्तर्गत रुपये 199.990 लाख (एक करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार रुपये) के अनुमानित व्यय पर अनुसूचित जाति के 2857 सदस्यों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है तथा रुपये 59.990 लाख (उनसठ लाख निन्यानवे हजार रुपये) के अनुमानित व्यय पर 857 अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।
- 9) बिहार कोषागार संहिता में सन्निहित प्रावधान के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।
- 10) बजट शीर्ष एवं बजट की उपलब्धता :-
 - (i) मुख्य शीर्ष-2404 -डेरी विकास-राज्य स्कीम, लघु शीर्ष-789 -अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0101 -ग्रामीण डेरी रोजगार योजनाएँ, विपत्र कोड 02-2404007890101, विषय शीर्ष-0101.20.03 -प्रशिक्षण व्यय के तहत रुपये 200.00 लाख का बजट उपबंध उपलब्ध है।
 - (ii) मुख्य शीर्ष-2404 -डेरी विकास-राज्य स्कीम, लघु शीर्ष-796 -जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष-0101 -प्रशिक्षण एवं विस्तार विपत्र कोड 02-2404007960101, विषय शीर्ष-0101.20.03 -प्रशिक्षण व्यय अन्तर्गत रुपये 60.00 लाख का बजट उपबंध उपलब्ध है।

- 11) यह स्कीम एक चालू राज्य स्कीम है। स्कीम का लागत मूल्य 5.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प-12888, दिनांक-03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में इस योजना के स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका सं०-6 एस०एस०(6)14/2013 के पृ०-86/टि०, दिनांक-09.06.2025.
- 12) निदेशक, गव्य बिहार, पटना इस योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति तथा सफल क्रियान्वयन हेतु पूर्णरूपेण जबाबदेह होंगे तथा क्रियान्वयन एजेन्सी से योजना पर होने वाले व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु भी जबाबदेह होंगे।
- 13) राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका सं०-6 एस०एस०(6)14/2013 के पृ०-85/टि० तथा डायरी सं०-शून्य, दिनांक-04.06.2025.
- 14) वित्त विभाग के पत्रांक-7355, दिनांक-05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार पत्र आवश्यक नहीं है।

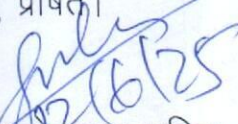
विश्वासभाजन


(मीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

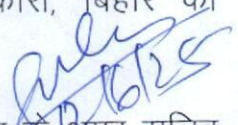
ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)14/2013- 2620 /पटना-15, दिनांक- 13 / 06 / 2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/ बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)14/2013- 2620 /पटना-15, दिनांक- 13 / 06 / 2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)14/2013- 2620 /पटना-15, दिनांक- / / 2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ सभी जिला गव्य विकास पदाधिकारी/ निदेशक, गव्य बिहार, पटना/प्रबंधक डी०एन०एस०, पटना/प्रबंधन निदेशक, देबलापार, नागपुर (महाराष्ट्र) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)14/2013- 2620 /पटना-15, दिनांक- 13 / 06 / 2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ गव्य निदेशालय, बिहार, पटना के बजट शाखा/योजना शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)14/2013- 2620 /पटना-15, दिनांक- 13 / 06 / 2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/योजना शाखा के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ/महालेखापरीक्षा, महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)14/2013- 2620 /पटना-15, दिनांक- 13 / 06 / 2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/आई०टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

leavy

व्यय विवरणी

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना अन्तर्गत वर्ग के सदस्यों को गव्य विज्ञान में प्रशिक्षण की योजना में बजट उपबंधित राशि के विरुद्ध व्यय की जाने वाली राशि का व्यय विवरणी :-

1. विपत्र कोड 02-2404007890101 एवं विषय शीर्ष-0101.20.03 -प्रशिक्षण व्यय				
क्रमांक संख्या	योजना विवरणी	अनुमानित लागत व्यय (राशि लाख में)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	कोषागार
1	सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थान / डी0एन0एस0 पटना में प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शुल्क, ठहरने, खाने इत्यादि मद की राशि	157.135	निदेशक गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना या इनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना
2	प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण संस्थान तक जाने एवं वापस आने के लिए भाड़ा मद की राशि	42.855	संबंधित जिला गव्य विकास पदाधिकारी	संबंधित जिला कोषागार
योग :-		199.990		

(एक करोड़ निम्नानवे लाख निम्नानवे हजार) मात्र

2. विपत्र कोड-02-2404007960101 एवं विषय शीर्ष 0101.20.03-प्रशिक्षण व्यय				
क्रमांक संख्या	योजना विवरणी	अनुमानित लागत व्यय (राशि लाख में)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	कोषागार
1	सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थान / डी0एन0एस0 पटना में प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शुल्क, ठहरने, खाने इत्यादि मद में राशि	47.135	निदेशक गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना या इनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना
2	प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण संस्थान तक जाने एवं वापस आने के लिए भाड़ा मद की राशि	12.855	संबंधित जिला गव्य विकास पदाधिकारी	संबंधित जिला कोषागार
योग :-		59.99		
		(उनसठ लाख निम्नानवे हजार) मात्र		
विपत्र कोड 1 एवं विपत्र कोड 2 का कुल योग :-		259.98		
(दो करोड़ उनसठ लाख अठानवे हजार) मात्र।				

26220
13/6/25

सरकार के अपर सचिव
26/6/25